दिनांक 15.5.2018 को माननीय मन्त्री, आपदा प्रबन्धन,सहायता एवं नागरिक सुरक्षा की अध्यक्षता में सहकारिता विभाग के साथ आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण

आज दिनांक 15.5.2018 को माननीय मन्त्री, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा की अध्यक्षता में सहकारिता विभाग के साथ बैठक आयोजित की गयी, जिसमें संलग्न सूची के अनुसार अधिकारी उपस्थित थे।

सर्वप्रथम शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन ने अवगत कराया कि विभाग द्वारा कुछ जिलों में करवायी गयी प्राथमिक जॉच रिपोर्ट में जी.एस.एस /लेम्पस के माध्यम से कृषि आदान अनुदान वितरण में अनियमितताएं पायी गयी, जो निम्नानुसार है :-

1. पटवारी द्वारा एक ही सूची में कई कृषकों के नाम एक से अधिक बार लिखे गये।
2. जी.एस.एस./लेम्पस द्वारा कृषि आदान अनुदान के वितरण हेतु पटवारी से प्राप्त सूची, जिसमें केवल नाम एवं राशि ही अंकित थी, के आधार पर लेजर में एन्ट्री कर बगैर के.वाई.सी. खाते खोल कर इन्द्राज कर लिया गया।
3. जी.एस.एस./लेम्पस द्वारा एक ही व्यक्ति को अनेक कृषकों के चैक दे दिये गये, जिसमें से कई चैक भुगतान हेतु निर्धारित अवधि में प्रस्तुत ही नहीं किये गये।
4. जी.एस.एस. द्वारा पटवारी की सूची के आधार पर लेजर में एन्ट्री कर खोले गये खातों में से कुछ कृषकों द्वारा उक्त राशि आहरित ही नहीं की गयी।
5. पटवारी की सूची के आधार पर एक ही कृषक के नाम एक से अधिक खाते खोल दिये गये।
6. जी.एस.एस. द्वारा कई स्थानों पर जारी किये गये चैक आहरण हेतु प्रस्तुत ही नहीं किये गये।
7. जी.एस.एस. /सहकारी बैंक की जिला शाखा के अलावा अन्य शाखाओं में कृषि आदान अनुदान की अवितरित राशि मय अवितरित चैक अवशेष पडे है।

उपरोक्त संबंध में विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि –

(1) जी.एस.एस. के उपरोक्त वर्णित ऐसे खातों में पडी हुई राशि जिनका के.वाई.सी. नहीं है तथा कोई ट्रांजेक्शन भी नहीं हुआ है, को जी.एस.एस. मय सूची के सी.सी.बी. की जिला स्तर की मुख्य शाखा में जिला कलेक्टर, सहायता के खाते में राशि वापस लौटायेगा।

(2) जी.एस.एस. में पडे चैक जो सूची अनुसार बनाए गए हैं परन्तु आदिनांक तक संबंधित काश्तकार ने प्राप्त नहीं किए है तथा सी.सी.बी./जी. एस.एस. द्वारा जारी किये गये ऐसे चैक, जो निर्धारित अवधि में भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये, उनसे संबंधित राशि जी.एस.एस./ सी.सी.बी. की शाखाएं सी.सी.बी. के जिला स्तर के जिला कलेक्टर सहायता के मुख्य खाते में सूची सहित वापस ट्रांसफर की जायेगी।

(3) एक ही आदमी को दिये गये एक से अधिक चैक, जो भुगतान हेतु निर्धारित अवधि में प्रस्तुत नहीं किये गये, उन्हें भी सूची के साथ जिला स्तर के मुख्य खाते में राशि सूची के साथ ट्रांसफर की जावेगी। उपरोक्त संबंध में सहकारिता विभाग के सक्षम स्तर से आदेश जारी किये जावेंगे।

(4) सी.सी.बी. बैंक की जिला स्तर की मुख्य शाखा में जिला कलेक्टर सहायता के खाते के अलावा अन्य सभी शाखाओं में खोले गये खाते तत्काल प्रभाव से बन्द किये जाकर उक्त खातों की राशि को जिला स्तर के सी.सी.बी. के जिला कलेक्टर सहायता के मुख्य खाते में ट्रांसफर किया जावेगा। सहकारिता विभाग द्वारा इस संबंध में आदेश जारी किये जावेंगे।

शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन द्वारा अवगत करवाया गया कि कुछ जिलों में सी.सी.बी./सी.सी.बी. की शाखाओं द्वारा गत वर्षो में कृषि आदान अनुदान राशि की एफ.डी.आर. बनवायी गयी है। जिसका पूरा विवरण प्राप्त किया जावे। प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग ने इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कर आगामी बैठक में अवगत कराने बाबत बताया।

विचार विमर्श उपरान्त निर्णय लिया गया कि सी.सी.बी. के जिला स्तर के कलेक्टर सहायता के खातों में उपलब्ध राशि का पूर्ण विवरण प्रत्येक पखवाडे आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग के ई-मेल secydmr.ccb@gmail.com पर प्रेषित किया जावेगा।

अन्त में बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

उप शासन सचिव

F.1(1) आ.प्र. (नि.सह.)/सा0/2018/ 8522-28 जयपुर दिनांक 17.5.2018

प्रतिलिपिः-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग, जयपुर।
2. शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर।
3. रजिस्ट्रार कॉपरेटिव विभाग, जयपुर।
4. अतिरिक्त रजिस्ट्रार कॉपरेटिव, विभाग, जयपुर।
5. प्रबंधक निदेशक, ऐपेक्स बैंक, जयपुर।
6. शासन उप सचिव, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर।
7. वित्तीय सलाहकार, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर।

उप शासन सचिव